न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना I.A.S.

प्रकरण संख्या – 54/2021 (प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नं0–2021/226

1. घनश्याम पुत्र बालमुकुन्द निवासी ग्राम खेडारूद्वा
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल निवसी ग्राम सोहनपुरा, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––प्रार्थी.

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी, अधिकारी रामगंजमण्डी, कोटा
2. महाप्रबन्धक (तक) भ.रा.रा.प्रा. सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय क्षैत्रीय कार्यालय एफ–120, जनपथ, श्याम नगर, जयपुर
3. महाप्रबंधक (तक) एवं प्रोजेक्ट डयरेक्टर, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई ए–504, इन्द्रा विहार, कोटा राज0

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3–जी–5 अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्था पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
2. सुश्री महेन्द्रा कुमारी वर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी नं0 2

निर्णय

दिनांक :– 25.04.2022

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी–5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 व भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 48–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे निमार्ण अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अन्य भूमियों के साथ साथ ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नं0 2588/1927 की रकबा 0.53 हे0 भूमि भारतमाल परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन के अनुरक्षण प्रबंधन एवं प्रचालन के लोक परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाकर अवार्ड क्रमांक/305–307 दिनांक 22.3.2021 जारी किया गया । उक्त जारी अवार्ड की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2021 को प्रस्तुत किया गया है ।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एड0 विकास सोनी जर्ये महेन्द्रा कुमारी वर्मा का वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी नं0 1 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नं0 2588/1927 की रकबा 0.53 हे0 भूमि भारतमाल परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन के अनुरक्षण प्रबंधन एवं प्रचालन के लोक परियोजना के लिए अधिग्रहण की जा रही है उक्त 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित होते हुए भी मुआवजे की राशि आधी तय की है जिससे प्रार्थीगण को भूमि अवाप्ति के दौरान दिये गये अवार्ड से काफी नुकसान हो रहा है । अवाप्ति अधिकारी द्वारा एक ही खसरा नम्बर में दौ तरह की भूमि का निर्धारण किया है बतौर खसरा नम्बर 1927 की आराजी की अवाप्ति राशि का निर्धारण रोड से 101 से 500 मीटर की दूर मानते हुए 12,97,808/– प्रति हे0 आंकी गई है जबकि इसी खसरा नम्बर की प्रार्थीगण की कृषि आराजी खसरा नम्बर 2588/1927 जो सिंचित भूमि होते हुए 9,05,855/– प्रति हैक्टयर आंकी गयी है जो अनुचित है । एक ही खसरा नम्बर में नाप का अंतर बताते हुए अवार्ड राशि में अंतर अपने आप में ही प्रश्नवाचक चिन्ह स्थापित करता है । पूर्व की राशि एवं वर्तमान राशि में लगभग 50 प्रतिशत का अंतर आ रहा है जो विधि विरूद्व है । एक ही प्रकार की भूमि होते हुए भी अवार्ड में अंतर आना न्यायसम्मत नहीं है । इतना ही नहीं रोड के दौनों तरफ की दिशा की भूमि तो अवाप्त करते समय अवाप्ति की राशि का जो निर्धारण किया गया है उसमें भी लगभग 45–50 प्रतिशत का अंतर आ रहा है । पूर्व में लगभग साढे नौ लाख रूपये बीघा से अवार्ड किया गया था और आज प्रार्थीगणों को लगभग 4–4.25 लाख प्रति बीघा की राशि दी जा रही है जो सम्मानजनक नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र उपर वर्णित कारणों के आधार पर स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की उपरोक्त अवाप्त किये जाने वाली रोड प्रयोजनार्थ भूमि का प्रचलित बाजार दर से 9,05,855/– प्रति हैक्यर के हिसाब से तीन गुणा गणना कर तदनुसार सोलेशियम की राशि ब्याज एवं अन्य देय लाभ प्रार्थी को दिये जाने के संबंध में संशोधित आदेश पारित करने की कृपा करें ।

4. वकील अप्रार्थी नं0 2 एन0एच0ए0 आई0 की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं बहस में मुख्यरूप से कथन किया है कि वाके ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन (भरतमाला) हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की उक्त अवाप्त भूमि के साथ साथ धारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ.4803(अ) दिनांक 31.12.2020 को जारी की जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गयी । उक्त अधिसूचना का सार दौ दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 10.01.2021 के अंकों में प्रकाशित किया गया तथा उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें की प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2588/1927 की रकबा 0.53 हे0 निजी घनश्याम पुत्र बालमुकन्द हिस्सा 1/2 एवं राजेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/2 सम्मिलित है । जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत अवाप्तसुदा भूमि का मूल्य एवं निमार्ण का मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सडक सीमा के पास या दूर, उप पंजीयक से प्राप्त डीसलसी दर के आधार पर की गई है । केन्द्रीय सड़क परिवहन विभाग की जारी अधिसूचना 3ए वक्त भूमि की किस्म अनुसार प्रतिकर की राशि का

जिला कलेक्टर
कोटा

निर्धारण किया किया जाकर RFCTLARR Act 2013 के तहत किया गया है । अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोक हित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निमार्ण हेतु अधिग्रहित की गई है । अधिग्रहण का उद्देश्य न तो आवासीय और न ही व्यवसायिक है । लोकहित में राजमार्ग का निमार्ण किया जा रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सकें । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाने की कृपा करें । प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में जो अवार्ड पारित किया गया था वह सम्पूर्ण रिकार्ड एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतया सही पारित किया गया है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, के तहत प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की भूमि ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी के खसरा नम्बर 2588/1927 की रकबा 0.53 हे0 भूमि (भारतमाला) एन0एच0 148–एन में अवार्ड पारित किया गया जिसमें मुआवजा राशि 9,05,855/– प्रति हेक्टयर से तय की गई है जबकि पत्रावली में उपलब्ध सूची अवाप्त खसरा नम्बर की राष्ट्रीय राजमार्ग व व राज्यमार्ग से दूरी एवं डी0एल0सी0 दर तय की गई है उसमें मूल खसरा नम्बर 1927 सडक सीमा से 101 मीटर से 500 मीटर तक दूरी पर होना माना है तथा दिनांक 17.10.2020 को प्रचलित डीएलसी 12,07,808/– बताया गया है । जबकि अवाप्तसुदा भूमि 2588/1927 भी मूल खसरा नम्बर 1927 का ही भाग है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अंकित तथ्य विचारणीय होकर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया जाने योग्य है ।

6. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि बिन्दु संख्या 5 में किये गये विवेचनानुसार प्रार्थी की अवाप्त भूमि की मौके पर सडक से दूरी की जांच कर 3ए की अधिसूचना के वक्त की सही डीएलसी अनुसार गणना कर संशोधित आदेश जारी करावें ।

7. निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा